

शराब घोटाला : 29 अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज

माना जा रहा है कि अब कभी भी हो सकती है इनकी गिरफ्तारी

नवभारत ब्यूरो। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में फंसे आबकारी विभाग के अधिकारियों को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। आज हाईकोर्ट ने सभी 29 अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं हैं।

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की गिरफ्तारी से बचने के लिए इन सभी अधिकारियों ने हाईकोर्ट में अग्रिम

जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद याचिकाएं खारिज करते हुए साफ कहा कि आरोपी निचली अदालत में सरेंडर करें और वहीं से जमानत के लिए आवेदन लगाएं। छत्तीसगढ़ में हुए हजारों करोड़ के इस शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने करीब 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि, विभागीय मिलीभगत से ओवर बिलिंग, नकली बारकोड और डमी कंपनियों के जरिए अवैध वसूली की गई। इसी मामले में पेश किए गए

चालान के बाद कोर्ट ने पहले ही दोषी अधिकारियों को 20 अगस्त तक उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके बाद सभी दोषी अधिकारियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाएं लगाई थीं। जिस पर आज सुनवाई के बीच शासन की ओर से अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। हाईकोर्ट ने सभी 29 अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। माना जा रहा है कि, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है।

चाचा को कटारी से काट दफन कर दिया हूं, मुझे भेज दो जेल

नवभारत ब्यूरो। बलरामपुर। जिले के रघुनाथनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरी में भतीजे ने चाचा की धारदार हथियार से हत्या कर शव को घर के पीछे बाड़ी में दफना दिया। फिलहाल विवाद का कारण घरेलू झगड़ा बताया गया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार रघुनाथनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरी में रविवार की रात शराब के नशे में मंगरू खैरवार (50 वर्ष) का उसके भतीजे संतोष खैरवार (30 वर्ष) से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि संतोष ने चाचा मगरू

की धारदार हथियार से सिर एवं गले पर वार कर हत्या कर दी। इसके घर के पीछे बाड़ी में गड़ढा खोदा और शव को गाड़ दिया। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी हत्या कर वहीं बैठा रहा और सभी से बोलता रहा कि चाचा को कटारी से काटकर दफन कर दिया हूं। मुझे जेल भेज दो। यह सुन सभी के होश उड़ गए। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची ने शव के दफन होने के कारण उसे निकालने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के लिए एसडीएम वाडफनगर को प्रतिवेदन भेजा गया है।